प्रकाशन संख्या 561

बिहार विधान-सभा

की

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 551वाँ

परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0 प्रा0) वर्ष 2001-02 (4.02), 2002-03 (4.02, 4.03), 2003-04 (4.02, 4.04), 2006-07 (4.4, 4.5) एवं 2010-11 (3.4) की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

(दिनांक ..... को सदन में उपस्थापित) ।

(34)

विषय–सूची

		पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2014–15 (पंचदश बिहार विधान–सभा)	..	क
2. लोक लेखा समिति की उप–समिति 3 का गठन वर्ष 2014–15	..	ख
3. सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारीगण, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय के पदाधिकारी एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण	..	ग
4. प्राक्कथन	..	ङ०
5. प्रतिवेदन	..	1–29

वर्ष	कंडिका
2001–02 (रा० प्रा०)	4.02
2002–03 (रा० प्रा०)	4.02, 4.03
2003–04 (रा० प्रा०)	4.02, 4.04
2006–07 (रा० प्रा०)	4.4, 4.5
2010–11 (रा० प्रा०)	3.4

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2014–15 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव	स0वि0स0

सदस्यगण

1. डॉ0 अच्युतानन्द	स0वि0स0
2. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	स0वि0स0
3. श्री अशोक कुमार	स0वि0स0
4. श्री मंजीत कुमार सिंह	स0वि0स0
5. श्री अभिराम शर्मा	स0वि0स0
6. श्री रत्नेश सदा	स0वि0स0
7. श्री विनोद नारायण झा	स0वि0स0
8. श्रीमती उषा सिन्हा	स0वि0स0
9. डॉ0 उषा विद्यार्थी	स0वि0स0
10. श्री कृष्णनन्दन यादव	स0वि0स0
11. श्री अरूण शंकर प्रसाद	स0वि0स0

बिहार विधान--सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप--समिति (3) का गठन वर्ष 2014--15

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव — स0वि0स0

संयोजक

1. श्री अरूण शंकर प्रसाद — स0वि0स0

सदस्यगण

1. डॉ0 अच्युतानन्द — स0वि0स0
2. श्री कृष्णनन्दन यादव — स0वि0स0

बिहार विधान–सभा सचिवालय

1. श्री हरेराम मुखिया	प्रभारी–सचिव
2. श्री रूपनारायण मिश्र	उप–सचिव
3. श्री भूदेव राय	उप–सचिव
4. श्री गणेश कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री उमाशंकर यादव	सहायक
7. श्री रंजय कुमार	सहायक
8. श्री राजीव रंजन–III	सहायक
9. श्री अरविन्द कुमार दास	सहायक
10. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	सहायक

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय

1. श्री प्रवीण कुमार सिंह	महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
2. श्री परवेज आलम	उप–महालेखाकार
3. श्री इन्द्र कुमार	उप–महालेखाकार
4. श्री अशोक कुमार झा	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
5. श्री कुमार प्रशांत	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
6. श्री अरविन्द कुमार	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

1. श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव
2. श्री अवधेश कुमार	विशेष कार्य पदाधिकारी

32

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001–02, 2002–03, 2003--04, 2006–07 एवं 2010–11 (रा० प्रा०) की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 551 वाँ प्रस्तुत करता हूँ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 21 जुलाई, 2014 की बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय एवं वित्त विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अथक परिश्रम देकर समिति को जो सहयोग दिया है, वह अविस्मरणीय है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने जो अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

पटना :

दिनांक

ललित कुमार यादव,

सभापति,

लोक लेखा समिति,

बिहार विधान–सभा, पटना।

प्रतिवेदन

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001–02 (रा0प्रा0) पृष्ठ 36 पर द्रष्टव्य।

4.02 कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी

समय–समय पर यथासंशोधित बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार वाहन पर देय कर, वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरंभ में 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है। यदि वाहन मालिक अपना आवास/व्यवसाय बदल दिया हो तो उसे 30 दिनों के अन्दर संबद्ध मूल पंजीयन प्राधिकार को अपना नया पता सूचित करना होगा।

12 जिला परिवहन कार्यालयों में देखा गया (जनवरी और दिसम्बर, 2001 के बीच) कि 672 परिवहन वाहन मालिकों ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया था तथा कर भुगतान नहीं करने का कोई कारण भी अभिलेखित नहीं था। विभाग द्वारा भी कर वसूली के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप जनवरी, 1992 से दिसम्बर, 2001 की अवधि से संबंधित 1.92 करोड़ रुपये की कर की वसूली नहीं की गयी।

इन्हें बताये जाने पर (जनवरी और दिसम्बर, 2001 के बीच), 10 जिला परिवहन अधिकारियों (68 वाहनों के मामलों में) ने कहा (फरवरी और दिसम्बर, 2001 के बीच) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जिला परिवहन अधिकारी, कटिहार ने कहा (दिसम्बर, 2001) कि संबंधित वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत किया जा चुका है। जिला परिवहन अधिकारी, दरभंगा ने कहा (जनवरी, 2001) कि 3 वाहनों के मालिक दूसरे जिलों में कर भुगतान कर रहे हैं चूँकि वाहन मालिकों ने निबंधन पदाधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्राप्त नहीं किया तथा न ही वर्तमान पता में बदलाव तथा कर भुगतान की स्थिति से संबंधित कोई सूचना ही करारोपण पंजी में दर्ज पाया गया, अतः उत्तर अमान्य है।

तदुपरांत उत्तर प्राप्त नहीं हुये है। (नवम्बर, 2002 मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून, 2002) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर, 2002)।

इस कंडिका से संबंधित 12 जिला परिवहन कार्यालय है भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, हाजीपुर, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, सहरसा एवं समस्तीपुर।

विभागीय अनुपालन स्थिति

इस कंडिका में 672 वाहनों को आपत्तिग्रस्त दर्शाया गया है, जिसमें कुल सन्निहित राशि 1.92 करोड़ है, जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

1. **जिला परिवहन कार्यालय पटना**––इस कंडिका में कुल 19 वाहनों के संबंध में आपत्ति दर्शाया गया है जिसमें आपत्तिग्रस्त राशि रु0 19,89,160.91 है। इसमें 19 वाहनों पर अर्थदण्ड के साथ नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है, इस तरह 19 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद की राशि 67,37,496.00 रु0 है।

2. जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर- इस कंडिका में कुल 73 आपत्तिग्रस्त वाहनों जिसमें सन्निहित राशि रू0-15,71,368.00 रू0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है:-
(क) 73 वाहनों पर नीलामपत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि-15,71,368.00 रू0 है।

3. जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर- इस कंडिका में कुल 10 वाहनों पर नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसकी राशि रू0-4,42,175.00 है ।

4. जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास (सासाराम)- इस कंडिका में कुल 17 आपत्तिग्रस्त वाहन है, जिसमें सन्निहित राशि रू013,08,493.00 है, जिसपर नीलामपत्र वाद दायर किया गया है ।

5. जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा- इस कंडिका में कुल 8 आपत्तिग्रस्त वाहन के विरूद्ध सन्निहित राशि-7,57,947.00 रू0 दर्शाया गया है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है-
(क) 7 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किया गया जिसकी राशि-6,67,713.00 रू0 है ।
(ख) 1 वाहन से वसूल की गई राशि- 81,234 रू0 है ।

6. जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली- इस कंडिका में 19 आपत्तिग्रस्त वाहन के विरूद्ध सन्निहित राशि-7,57,245.00 रू0 है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) 1 वाहन से वसूल की गई राशि- 42,880.75 रू0 है ।
(ख) 17 वाहन के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसमें सन्निहित राशि- 6,63,749.20 रू0 है ।
(ग) 1 वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन में ट्रक है जबकि कार्यालय में उक्त नम्बर पर मोटर साईकिल निबंधित (बी.आर.-31/0119) है जिसकी राशि-51,372.20 रू0 है ।

7. जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर- इस कंडिका में 12 आपत्तिग्रस्त वाहन के विरूद्ध सन्निहित राशि-5,77,688.00 रू0 है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है -
(क) 2 वाहन से वसूल की गई राशि- 54,612.00 रू0 है ।
(ख) 10 वाहन के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसमें सन्निहित राशि- 5,23,056 रू0 है ।

8. जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर- इस कंडिका में 41 आपत्तिग्रस्त वाहन के विरूद्ध सन्निहित राशि-80 77,067.00 रू0 है, सभी वाहनों के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है ।

9. <u>जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार</u>- इस कंडिका में 64 आपत्तिग्रस्त वाहन के विरूद्ध सन्निहित राशि-12,19,461.00 रू0 है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) 26 वाहन से वसूल की गई राशि- 4,71,694.00 रू0 है ।
(ख) 38 वाहन के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसमें सन्निहित राशि- 7,47,767.00 रू0 है ।

10. <u>जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर</u>- इस कंडिका में 28 आपत्तिग्रस्त वाहन के विरूद्ध सन्निहित राशि-29,87,719.40 रू0 है, वाहनों के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है ।

11. <u>जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी</u>- इस कंडिका में 190 आपत्तिग्रस्त वाहन के विरूद्ध सन्निहित राशि-47,11,276.00 रू0 है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) 3 वाहन से वसूल की गई राशि- 84,912.00 रू0 है ।
(ख) 187 वाहन के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसमें सन्निहित राशि- 4(,16,364.00 रू0 है ।

12. <u>जिला परिवहन व र्यालय, सहरसा</u>- इस कंडिका में 23 आपत्तिग्रस्त वाहन के वि रूद्ध सन्निहित राशि-3,18,00.00 रू0 है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) सभी 23 वाहन के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसमें सन्निहित राशि- 3,18,000.00 रू0 है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 मई, 2014 की बैठक में समिति सर्व सम्मति से विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में तथा महालेखाकर एवं वित्त विभाग के सहमति से इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002–03 (रा0प्रा0) पृष्ठ 39 पर द्रष्टव्य।

4.02 कर की वसूली नहीं होना

बिहार मोटर वाहन करारोपण (बि0मो0वा0क0) अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत वाहन पर कर वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरंभ से 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है। समय से कर का भुगतान नहीं करने पर विहित दर पर अर्थदंड लगता है। जिला परिवहन कार्यालय अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भभूआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली तथा पश्चिमी चम्पारण में पाया गया कि 1,448 परिवहन वाहनों के मालिकों ने उन कार्यालयों में जहाँ वे मूल रूप में निबंधित थे कर का भुगतान बन्द कर दिया तथा उनके भुगतान नहीं करने का कारण भी अभिलेखित नहीं पाया गया। विभाग ने भी इसकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप अप्रील, 1991 तथा मई, 2002 के मध्य 11.80 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी तथा दिसम्बर, 2002 के मध्य कहा कि उक्त बकाया की वसूली हेतु माँग–पत्र जारी किया जायेगा॥ तत्पश्चात् उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त, 2004)।

मामले सरकार को जून, 2003 में प्रतिवेदित किये गये उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त, 2004)।

विभागीय अनुपालन स्थिति

इस कंडिका में कुल 1448 वाहनों के संबंध में आपत्ति दर्ज की गई है, जिसमें कुल सन्निहित राशि 11.80 करोड़ रुपये का वसूली होना दर्शाया गया है। इस संबंध में स्थिति निम्नवत है :–

1. **जिला परिवहन कार्यालय, जमुई**––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 137 है जिसकी राशि 27,92,043.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 25 वाहनों से वसूली गई राशि 5,79,655.00 रु0 है।

(ख) 112 वाहनों पर दायर नीलाम–पत्र वाद की राशि 22,12,388.00 रु0 है।

(23)

2. जिला परिवहन कार्यालय, नवादा––इस कंडिका कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 52 है जिसकी राशि 10,89,600.00 रु0 है सभी वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया गया है।

3. जिला परिवहन कार्यालय, गया––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 71 है जिसकी राशि 5,10,155.00 रु0 है सभी वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है।

4. जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 11 है जिसकी राशि 26,26,040.00 रु0 है सभी वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया गया है।

5. जिला परिवहन कार्यालय, नालंदा––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 691 है जिसकी राशि 17,48,09,649.00 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 633 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 15,90,18,744.00 रु0 है।

(ख) 57 वाहनों से वसूली गई राशि 1,57,16,505.00 रु0 है।

(ग) 1 वाहन चोरी का है जिसकी राशि 74,400.00 रु0 है।

6. जिला परिवहन कार्यालय, बक्सर––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 100 है जिसकी राशि 35,27,097.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 28 वाहनों से वसूली गई राशि 9,61,656.00 रु0 है।

(ख) 56 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 23,30,241.00 रु0 है।

(ग) 16 वाहनों को सर्वक्षमा योजना के अन्तर्गत कर को माफ किया गया जिसकी राशि 2,35,200.00 है।

7. जिला परिवहन कार्यालय, कैमूर (भभुआ)––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 29 है जिसकी राशि 6,66,489.00 है।

(क) 9 वाहनों पर कर भुगतान की राशि 2,91,783.00 रु0 है।

(ख) 5 वाहनों जिसका ऑडिट से पूर्व ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है जिसकी राशि 1,91,592.00 रु0 है।

(ग) 14 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 1,60,494.00 है।

(घ) 1 वाहन (बी0आर0–45/0954) जो मोटर साइकिल के रूप में निबंधित है जिसकी राशि 22,620.00 है।

8. जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)––इस कंडिका मे कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 60 है जिसकी राशि 6,35,80,435.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 4 वाहनों पर कर भुगतान की राशि 1,37,070.00 रु0 है।

(ख) 54 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 6,33,74,365.00 रु0 है।

(ग) 2 वाहनों (वाहन संख्या बीपीजेड/7622 एवं बीपीजी/0702 जो ट्रेलर है) जिसकी राशि क्रमशः 32,400.00 एवं 36,600.00 अर्थात् दोनों का योग 69,000.00 रु0 है जिसकी प्रविष्टि कार्यालय पंजी में नहीं है।

9. जिला परिवहन कार्यालय, अररिया––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 31 है जिसकी राशि 2,71,021.00 रु0 है। सभी वाहनों से कर की वसूली कर ली गई है।

10. जिला परिवहन कार्यालय, पटना––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 27 है जिसकी राशि 27,44,571.14 है इसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 2 वाहनों से कर भुगतान की राशि 1,17,345.27 है।

(ख) 4 वाहनों को अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है जिसकी राशि 2,50,395.44 है।

(ग) 21 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 23,76,830.43 रु0 है।

11. जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय––इस कंडिका कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 26 है जिसकी राशि 19,16,703.00 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 3 वाहनों से वसूली गई राशि 2,29,137.00 रु0 है।

(ख) 23 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 16,87,566.00 है।

12. जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 54 है जिसमें सन्निहित राशि 9,39,438.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 25 वाहनों का कर भुगतान हो गया है जिसकी राशि 2,35,578.00 रु0 है।

(ख) 29 वाहनों पर नीलाम वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 7,03,860.00 रु0 है।

13. जिला परिवहन कार्यालय, सीतामढ़ी–––आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 20 है जिसमें सन्निहित राशि 3,51,598.00 रु0 है।

(क) एक वाहन से वसूल की गयी राशि 4,199.00 है।

(ख) 19 वाहन पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 3,47,399.00 है।

14. जिला परिवहन कार्यालय, सिवान–––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 53 है जिसकी राशि 11,07,318.00 जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 53 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया जिसकी राशि 11,07,318.00 रु0 है।

(ख) 2 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 55,667.00 रु0 है।

15. जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा–––आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 78 है जिसमें सन्निहित राशि 21,46,657.00 रु0 है।

(क) 11 वाहन से वसूली गई राशि 4,31,061.00 रु0 है।

(ख) 67 वाहन पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 17,15,596.00 रु0 है।

16. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर–––आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 8 है जिसमें सन्निहित राशि 2,38,987.00 रु0 है।

(क) 4 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर है जिसमें सन्निहित राशि 88,176.00 रु0 है।

(ख) 4 वाहनों का प्रत्यर्पण हो चुका है जिसमें सन्निहित राशि 1,50,811.00 रु0 है।

17. जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर–––आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 58 है जिसमें सन्निहित राशि 32,72,148.00 रु0 है।

(क) 58 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया जिसकी सन्निहित राशि 32,72,148.00 रु0 है।

18. जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर–––इस कंडिका आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 24 है जिसमें सन्निहित राशि 61,20,564.00 रु0 है।

(क) एक वाहन जिसका वाहन सं0–बी0आर0जे0–353 की राशि 2,87,202.00 रु0 है जिसका जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 1997 को निबंधन रद्द कर दिया गया।

(ख) वाहन सं0 – बी0आर010ए0–9394 का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 11 अगस्त, 1996 को आर0टी0ए0 सहरसा को निर्गत किया गया जिसकी राशि 4,6,128.00 रु0 है।

(ग) 22 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसमें सन्निहित राशि 52,67,234.00 रु0 है।

19. जिला परिवहन कार्यालय, खगड़िया––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 24 है जिसकी राशि 9,21,000.00 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 1 वाहन से वसूली गई राशि 26,000.00 है।

(ख) 23 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 9,05,000.00 है।

20. जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 26 है जिसकी राशि 2,90,116.90 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 5 वाहनों से वसूली गई राशि 66,143.00 रु0 है।

(ख) 1 वाहन (बी0एच0ई0/7646) जो दूबारा अंकित हो गया है जिसकी राशि 7,350.00 रु0 है।

(ग) 1 वाहन (बी0एच0ई0/713) जिसका अनापति प्रमाण–पत्र आरटीए वर्धवान को दिनांक 6 मई, 1999 को निर्गत किया गया है जिसकी राशि 29,481.65 है।

(घ) 3 वाहनों पर माँग–पत्र निर्गत किया गया है जिसकी राशि 44,643.00 है।

(ड.) 19 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 1,12,705.00 रु0 है।

21. जिला परिवहन कार्यालय, छपरा––इस कंडिका में आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 17 है जिसमें सन्निहित राशि 9,83,331.00 रु0 है।

(क) चार वाहनों का अद्यतन कर की राशि 2,31,372.00 रु0 है।

(ख) तेरह वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 7,51,959.00 रु0 है।

22. जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुरा––इस कंडिका में कुल 70 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसमें सन्निहित राशि 55,27,147.00 रु0 है। उक्त सभी वाहनों पर नीलामवाद दायर किया गया है।

23. जिला परिवहन कार्यालय, किशनगंज––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 38 है जिसमें सन्निहित राशि 2,81,264.75 रु0 है।

(क) 17 वाहन पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसमें सन्निहित राशि 1,29,390.30 रु0 है।

(ख) 21 वाहन से वसूली गई सन्निहित राशि 1,51,879.45 रु0 है।

24. जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी––इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 55 है जिसकी सन्निहित राशि 7,11,627.00 रु0 है।

(क) 55 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया जिसमें सन्निहित राशि 7,11,627.00 रु0 है।

25. जिला परिवहन कार्यालय, जहानाबाद—इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 70 है जिसकी सन्निहित राशि 87,12,671.00 रु0 है।

(क) 23 वाहनों से वसूल की गयी राशि 28,48,385.00 रु0 है।

(ख) 47 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसमें सन्निहित राशि 58,64,286.00 रु0 है।

26. जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद—इस कंडिका में कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 71 है जिसकी सन्निहित राशि 4,44,066.00 रु0 है।

(क) सभी 71 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 4,44,066.00 रु0 है।

27. जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर—कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 17 है जिसमें सन्निहित राशि 25,69,961.00 रु0 है। सभी वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है।

(क) एक वाहन से वसूली की गई राशि 1,92,721.00 रु0 है।

(ख) 16 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 23,77,240.00 रु0 है।

28. जिला परिवहन कार्यालय, सासाराम—कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 53 है जिसमें सन्निहित राशि 1,14,91,704.00 रु0 है।

(क) तीन वाहनों से वसूली की गई राशि 46,128.00 रु0 है।

(ख) 40 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 1,13,45,576.00 रु0 है।

(ग) शेष 10 वाहनों का पंजी सड़ गया है जो पठनीय नहीं है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 मई, 2014 की बैठक में समिति सर्वसम्मति से विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में तथा **महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका को निष्पादित किया गया।**

सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2002–03 (रा0प्रा0) पृष्ठ सं0 39–40 पर द्रष्टव्य।

4.3 व्यापार कर तथा विलंबित भुगतान पर अर्थदंड की वसूली नहीं होना

बि0मो0वा0क0 अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापार के क्रम में वाहन रखने पर व्यवसायियों द्वारा विहित दर पर व्यापार कर का भुगतान किया जाना है। पुनः मई, 2001 में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार व्यापार कर के विलम्बित भुगतान पर अधिनियम में विहित दर पर अर्थदंड लगाया जाना है।

दो जिला परिवहन कार्यालयों (बेगूसराय तथा भोजपुर) के 19 मोटर वाहन व्यवसायियों के मामलों में पाया गया कि वर्ष 1998–1999 से 2001–2002 तक के लिये व्यापार कर की वसूली या तो नहीं की गई या व्यापार कर के विलंबित भुगतान पर अर्थ दंड नहीं लगाया गया। फलस्वरूप, 6.57 लाख रुपये का व्यापार कर तथा अर्थदंड की वसूली नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर जि0प0प0 बेगूसराय ने अगस्त, 2002 तथा दिसम्बर, 2002 में कहा कि माँग–पत्र जारी किया जा चुका है तथा नीलामवाद मामला दर्ज किया जायेगा। जि0प0प0 भोंजपुर ने दिसम्बर, 2002 में कहा कि मामले की जाँच की जायेगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुये है।

मामला सरकार को जून, 2003 में प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त, 2004)।

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा 14 तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा 13 मोटर वाहन व्यवसायियों के विरुद्ध बकाया एवं जुर्माना की वसूली हेतु नीलाम–पत्र दायर किया गया है।

(19)

समिति की अनुशंसा

दिनांक 17 अगस्त, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में इस निदेश के साथ कि "विभाग तीन माह के अन्दर मोनेटरिंग करें और बकाया वसूली की प्रक्रिया तेज करें" उक्त कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003–04 (रा0प्रा0) पृष्ठ 29 पर द्रष्टव्य।

4.02 कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी

बिहार मोटर वाहन करारोपण (बि0मो0वा0क0) अधिनियम, 1994 समय–समय पर संशोधित तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी वाहन पर कर वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो उस वर्ष या तिमाही के आरंभ से 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है। समय से कर का भुगतान नहीं करने पर विहित दर पर अर्थदण्ड लगता है। तदन्तर, (मो0वा0) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि वाहन मालिक अपना आवास/व्यवसाय का स्थान बदल दिया हो तो उसे 30 दिनों के अन्दर मूल पंजीयन प्राधिकारी को अपना नया पता सूचित करना होगा।

15 जिला परिवहन कार्यालयों (जि0प0का0) औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, सासाराम तथा सिवान में सितम्बर, 2003 तथा मार्च, 2004 के मध्य देखा गया कि 875 परिवहन वाहन मालिकों ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया था तथा कर भुगतान नहीं करने का कोई कारण भी अभिलेखित नहीं था। जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा के एक मामला को छोड़कर जहाँ माँग–पत्र निर्गत किया गया किन्तु कर अबतक वसूल नहीं हुआ, विभाग द्वारा कर वसूली के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप अप्रील, 1999 से जनवरी, 2004 की अवधि से संबंधित 5.39 करोड़ रुपये अर्थदंड सहित 8.09 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं की गयी।

सितम्बर, 2003 तथा फरवरी, 2004 के मध्य लेखापरीक्षा में बताये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर ने फरवरी, 2004 में कहा कि माँग–पत्र निर्गत किये जा चुके है तथा अन्य जिला परिवहन पदाधिकारी ने सितम्बर, 2003 तथा मार्च, 2004 के मध्य कहा कि बकाया कर के लिये माँग–पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदपश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (सितम्बर, 2004)।

मामले सरकार को जून, 2004 में प्रतिवेदित किये गये उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (सितम्बर, 2004)।

विभागीय अनुपालन स्थिति

1. जिला परिवहन कार्यालय, बक्सर––इस कंडिका में कुल 22 आपत्तिग्रस्त वाहन हैं जिसकी सन्निहित राशि 18,45,111.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 16 वाहनों से वसूल की गई राशि 13,15,773.00 रु0 है।

(ख) 06 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 5,29,338.00 रु0 है।

(17)

2. जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर——इस कंडिका में कुल 27 आपत्तिग्रस्त वाहन जिसमें सन्निहित राशि 11,73,341.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :—

(क) 09 वाहन से वसूल की गई राशि 6,63,108.00 रु0 है।

(ख) 18 वाहन जिसपर नीलाम—पत्र वाद दायर किया गया है कि राशि 5,10,233.00 रु0 है।

3. जिला परिवहन कार्यालय, गया——कुल आपत्तिगस्त वाहनों की संख्या 15 जिसमें सन्निहित राशि 1,58,517.00 रु0 है। सभी वाहनों पर नीलाम—पत्र वाद दायर किया गया।

4. जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर——कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 25 है जिसमें सन्निहित राशि 17,95,691.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :—

(क) 7 वाहनों से वसूली गई राशि 3,40,033.00 रु0 है।

(ख) 2 वाहनों पर माँग—पत्र निर्गत किया गया जिसकी राशि 1,89,864.00 रु0 है।

(ग) 16 वाहनों पर नीलाम—पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 3,03,768.00 रु0 है।

5. जिला परिवहन कार्यालय, खगड़िया——कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 14 है जिसमें सन्निहित राशि 24,46,857.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत है :—

(क) 1 वाहन से वसूली गई राशि 28,600.00 रु0 है।

(ख) 13 वाहनों पर नीलाम—पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 2371617.00 रु0 है। (दण्ड की राशि जो वसूलनीय नहीं है 46,640.00 रु0 है।)

6. जिला परिवहन कार्यालय, सिवान——कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 62 है जिसमें सन्निहित राशि 55,42,872.00 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :—

(क) 24 वाहनों पर नीलाम—पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 19,21,442.00 रु0 है।

(ख) 6 वाहनों पर अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत है जिसकी राशि 3,61,955.00 रु0 है।

(ग) 10 वाहनों से वसूली गई राशि 7,12,447.00 रु0 है।

(घ) 22 वाहनों पर नीलाम—पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 25,47,028.00 रु0 है।

7. जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 37 है जिसकी राशि 21,53,398.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 6 वाहनों से वसूली गई राशि 1,32,537.00 रु0 है।

(ख) 31 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 18,11,521.00 रु0 है।

8. जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 37 जिसमें सन्निहित राशि 6,35,175.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 5 वाहनों से वसूली गई राशि 5,74,723.00 रु0 है।

(ख) 32 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 60,452.00 रु0 है।

9. जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 19 है जिसमें सन्निहित राशि 16,91,747.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 13 वाहनों से वसूली गई राशि 10,74,861.00 रु0 है।

(ख) 4 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया जिसकी राशि 4,54,466.00 रु0 है।

(ग) 1 वाहन जो मोटर साइकिल है जिसका दावा नहीं बनता है की राशि 87,150.00 रु0 है।

(घ) 1 वाहन पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है जिसकी राशि 75,270.00 रु0 है।

10. जिला परिवहन कार्यालय, पटना––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 173 है जिसमें सन्निहित राशि 152.14 लाख रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 146 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 1,21,69,602.00 रु0 है।

(ख) 8 वाहनों से कर वसूल की गई जिसकी राशि 6,23,212.00 रु0 है।

(ग) 10 वाहनों पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया जिसकी राशि 17,78,733.00 रु0 है।

(घ) 3 वाहन जो निबंधित नहीं है (मोटर साइकिल, मोपेड एवं स्कूटर) जिसकी राशि 2,07,091.00 रु0 है।

(ङ.) 1 वाहन (बी.पी.ए./9024 जिसकी प्रविष्टि दूबारा की गई है जो क्रमांक 128 पर है।)

(च) 1 वाहन (बी.एच.पी./0336 निबंधन पंजी के अनुसार स्कूटर है जो क्रमांक 131 पर है।)

(छ) 1 वाहन (बी.आर--1जी/9022 जिसकी राशि 104247.00 रु0 है जो वाहन छीन ली गई है। मामला सीजीएम पूर्णियाँ के न्यायालय में लंबित है।)

(ज) 1 वाहन (बी.आई.ए./1491) जिसकी राशि 51,504.00 रु0 है जो कर माफी हेतु मुख्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1008, दिनांक 13 फरवरी, 2004 के द्वारा भेजा गया है।

11. जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज---कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 153 जिसमें सन्निहित राशि 23,22,535.00 रु0 है। उक्त सभी वाहनों पर नीलामवाद दायर किया गया।

12. जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास---इस कंडिका कुल 34 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसमें कुल सन्निहित राशि 64,75,313.00 रु0 है।

(क) 4 वाहनों पर वसूल की गई राशि 3,45,708.00 रु0 है।

(ख) 3 वाहनों जिसमें अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया जिसकी राशि 95,308.00 रु0 है।

(ग) 27 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 60,34,297 रु0 है।

13. जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ---इस कंडिका में कुल 36 वाहन आपत्तिग्रस्त है जिसकी कुल सन्निहित राशि 90,59,381.00 रु0 है।

(क) 02 वाहनों से वसूली गई राशि 4,99,071.00 रु0 है।

(ख) 30 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 76,02,119.00 रु0 है।

(ग) 03 वाहनों पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र है जिसमें सन्निहित राशि 5,53,790.00 रु0 है।

(घ) 01 वाहन पर दिनांक 1 मार्च, 2004 से पथ कर जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा प्राप्त किया जाना है जिसकी राशि 3,64,401.00 रु0 है।

14. जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद---इस कंडिका में कुल 15 वाहन आपत्तिग्रस्त है जिसकी कुल सन्निहित राशि 1,58,517.50 रु0 है।

(क) सभी 15 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 1,58,517.50 रु0 है।

15. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर---इस कंडिका में कुल 7 वाहन आपत्तिग्रस्त है जिसकी कुल सन्निहित राशि 34,900.00 रु0 है।

(क) सभी 7 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 34,900.00 रु0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 मई, 2014 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय जवाब के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

(13)

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003–04 (रा0प्रा0) पृष्ठ 30 पर द्रष्टव्य।

4.04 बैठने की क्षमता का संशोधन नहीं/कम करने के कारण कर का अवनिर्धारण

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1940 के नियम 126 के प्रावधानों तथा दिसम्बर, 1998 एवं सितम्बर, 2000 में रा0प0आ0 द्वारा निकाले गये कार्यपालक अनुदेशो के अन्तर्गत लोक सेवा वाहनों के सीट की क्षमता का निर्धारण वाहनों के चक्का पर आधारित होना चाहिये। पर्यटक कोच के सीटों की क्षमता का निर्धारण केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर करना चाहिये। करारोपण बि0मो0वा0क0 अधिनियम के अनुसूची–I तथा II में उल्लिखित दर पर किया जाना चाहिये।

अगस्त, 2002 तथा दिसम्बर, 2003 के मध्य पाँच जि0प0पदा0, औरंगाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ तथा रोहतास (सासाराम) द्वारा निर्गत निबंधन पंजियों तथा विवरणियों की जाँच के दौरान पाया गया कि 17 वाहनों के सीटों की क्षमता का पुनर्निर्धारण जनवरी तथा नवम्बर, 1999 के मध्य किया गया परन्तु उन वाहनों से संशोधित दर पर कर की वसूली पुनर्निर्धारण की तिथि के बदले अक्टूबर, 2000 तथा जुलाई, 2002 के मध्य की अवधि से की गयी एवं अन्य 38 वाहनों के सीटों की क्षमता का पुनर्निर्धारण चक्कों के आधार पर नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 20.24 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं/कम की गयी।

अगस्त, 2002 तथा दिसम्बर, 2003 के मध्य लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर जि0प0पदा0, पूर्णियाँ ने कहा कि पुनर्निर्धारण की कार्रवाई की जायेगी तथा अन्तर कर की वसूली कर ली जायेगी जबकि अन्य जि0प0अ0 ने कहा समीक्षा के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदपश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (सितम्बर, 2004)।

विभागीय अनुपालन स्थिति

1. **जिला परिवहन पदाधिकारी, गया**––कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 2 है जिसमें सन्निहित राशि 91,212.35 रु0 है। दोनों वाहनों पर नीलामवाद दायर किया गया है।

2. **जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास (सासाराम)**––आपत्तिग्रस्त वाहन की संख्या 01 है जिसमें सन्निहित राशि 68,644.00 रु0 है जिसकी वसूली कर ली गई है।

3. **जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ**––आपत्तिग्रस्त वाहन की संख्या 36 है जिसमें सन्निहित राशि 90,59,381.00 रु0 है।

(क) 2 वाहनों से वसूल की गई राशि 4,99,071.00 रु0 है।

(ख) 30 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी सन्निहित राशि 76,02,119.00 रु0 है।

(ग) 3 वाहनों पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत है जिसमें सन्निहित राशि 5,93,790.00 रु0 है।

(घ) 1 वाहन से कर का भुगतान किशनगंज में किया जा रहा है जिसकी राशि 3,64,401.00 रु0 है।

4. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर––आपत्तिग्रस्त वाहन की संख्या 54 है जिसमें सन्निहित राशि 7,23,582.00 रु0 है।

(क) 13 वाहनों से वसूल की गई राशि 2,13,612.00 रु0 है।

(ख) 41 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी सन्निहित राशि 5,09,970.00 रु0 है।

5. जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद––आपत्तिग्रस्त वाहन की संख्या 22 है जिसमें सन्निहित राशि 3,32,442.00 रु0 है।

(ख) 22 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी सन्निहित राशि 3,32,442.00 रु0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 मई, 2014 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय जवाब के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 (रा0प्रा0) पृष्ठ 35–36 पर द्रष्टव्य।

4.4 अभ्यर्पण में अन्तर्ग्रस्त वाहनों से कर वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जब कोई मोटर वाहन मालिक किसी अवधि, जो एक समय में छः महीने से अधिक की हो अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है तो उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने के अवधि के लिए कर भुगतान से सक्षम पदाधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि छूट का दावा निबंधन प्रमाण–पत्र, योग्यता प्रमाण–पत्र, टैक्स टोकन इत्यादि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्पित हो। उपरोक्त अवधि के विस्तार यदि कोई हो के लिये वाहन मालिक को समय–समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। करारोपण पदाधिकारी को महीने में कम–से–कम एक बार वाहन के पार्किंग स्थल का औचक रूप से भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण मेमो को दर्ज करना है। वचन–पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया जा रहा है अथवा वाहन को वचन–पत्र में दर्शाये गये स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत यह माना जायेगा कि उक्त अवधि में कर का भुगतान किये बगैर वाहन का उपयोग किया गया है।

जुलाई, 2006 एवं मार्च, 2007 के बीच तीन जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान/अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य संबद्ध अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अभ्यर्पण में अंतर्निहित 23 वाहनों से संबंधित 14.61 लाख रुपये के कर की वसूली उनके मालिकों से नहीं की गई थी जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है।

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	सन्निहित कर की अवधि	अनियमितताएँ	कर प्रभाव
1	नालन्दा	06	1 फरवरी, 2003 से 31 मार्च, 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन–पत्र प्राप्त किये बगैर 28 एवं 39 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी।	8.31
2	मुजफ्फरपुर	13	4 नवम्बर, 2004 से 30 जून, 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन–पत्र प्राप्त किये बगैर 16 एवं 20 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः 13 वाहनों में से एक मामले में आरम्भिक अभ्यर्पण दर्ज करने के समय योग्यता प्रमाण–पत्र अभ्यर्पित नहीं किया गया था।	4.47
3	मोतिहारी	04	1 दिसम्बर, 2004 से 30 जून, 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन–पत्र प्राप्त किये बगैर 13 एवं 18 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः 4 वाहनों में से एक वाहन का अभ्यर्पण निबंधन प्रमाण–पत्र के फोटो कॉपी के आधार पर अनियमित रूप से स्वीकार किया गया है।	1.83
कुल		23			14.61

मामले इंगित किये जाने के बाद मोतिहारी, मुजफ्फपुर जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दिसम्बर, 2006 एवं मार्च, 2007 के बीच बतलाया कि अभ्यर्पण कर रद्द करने संबंधी सूचना–पत्र वाहन मालिकों को निर्गत कर दिया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा ने मई, 2007 में कहा कि कर वसूली हेतु माँग–पत्र पहले ही निर्गत कर दिया गया है। हालांकि यह उत्तर आगे के अवधि के लिये वाहन मालिकों से नये वचन–पत्र प्राप्त किये बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के अनियमित विस्तार एवं उचित कागजात के बगैर/कागजातों के फोटोकॉपी पर अभ्यर्पण देने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है। आगे उत्तर प्रतिवेदित नहीं किये गये है (नवम्बर, 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई, 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर, 2007)।

विभागीय अनुपालन की स्थिति

1. **जिला परिवहन कार्यालय, नालंदा**––आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 9 है जिसमें सन्निहित राशि 14,10,053.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 2 वाहन से वसूली की गयी राशि जिसका कर प्रतीक निर्गत किया गया 3,28,189.00 रु0 है।

(ख) 7 वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया जिसकी राशि 10,81,864.00 रु0 है।

2. **जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी**––आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 4 है जिसमें सन्निहित राशि 1,83,855.00 रु0 है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) 1 वाहन जिसकी वसूली हो चुकी है जिसकी राशि रु0 16,085.00 है।

(ख) 3 वाहनों पर नीलाम--पत्र दायर किया गया है। जिसमें सन्निहित राशि रु0 1,67,770.00 है।

3. **जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर**––आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 14 है जिसमें सन्निहित राशि 5,04,541 रु0 है। उक्त सभी वाहनों पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 मई, 2014 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय जवाब के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 (रा0प्रा0) पृष्ठ 37 पर द्रष्टव्य।

4.5 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विनिर्माता अथवा व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर एक विनिर्माता/व्यवसायी के रूप में विहित वार्षिक दर पर कर का भुगतान करना है। देय तिथि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में देय कर का 25 एवं 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है।

दो जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की अक्तूबर एवं दिसम्बर, 2006 के बीच किये गये संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि मोटर वाहनों के 12 व्यवसायियों ने वर्ष 2002–03 एवं 2005–06 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 9,360 दोपहिया एवं 151 तीन/चार पहियों वाली गाड़ियों हेतु या तो विहित दर पर कर का भुगतान नहीं किया था या कम कर का भुगतान किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों पर माँग सृजित नहीं किया। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 12.46 लाख रुपये के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

मामले इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय ने दिसम्बर, 2006 में बतलाया कि व्यवसायियों से चालान प्राप्त कर इसकी जाँच की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर ने अक्तूबर, 2006 में कहा कि माँग–पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर, 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल, 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर, 2007)।

7 बेगूसराय एवं मुंगेर

अनुपालन की स्थिति

जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2004–05 में 2,783 वाहनों का ट्रेड टैक्स 3,97,645.00 रुपये एवं वर्ष 2005–06 में 3,167 वाहनों से 1,11,360.00 रुपये ट्रेड टैक्स जो प्राप्त किया जाना था। एजेन्सी द्वारा बैंक चलान के माध्यम से जमा किया जा चुका है।

जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 11 वाहन विक्रेताओं पर नीलाम–पत्र वाद दायर किया गया है जिसकी राशि 4,42,806.00 रु0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 मई, 2014 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि "जो डीलर फंक्सन में है उनसे टैक्स वसूल किया जाय, नहीं है तो उन पर कार्रवाई की जाय" इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (रा0प्रा0) पृष्ठ 78–79 पर द्रष्टव्य।

3.4 मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना

बत्तीस[23] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित हुआ है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन हाने के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तों को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग–पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किये जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जाना है। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यदि कर या अर्थदण्ड या दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है तब पदाधिकारी जो मोटर वाहन निरीक्षक स्तर के नीचे का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार / विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया था तथा चूककर्ता वाहन मालिकों को निर्गत की जाने वाली माँग–पत्र हेतु समय–सीमा भी विहित नहीं थी।

अप्रील, 2010 तथा मार्च, 2011 के बीच कराधान पंजियों एवं कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि 1,025 परिवहन वाहन मालिकों ने अप्रील, 2001 एवं दिसम्बर, 2010 के बीच की अवधि से संबंधित रु0 5.34 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथियों के अन्दर नहीं किया, फिर

---

[23] आरा, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, बेतिया, बक्सर, छपरा, जमुई, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, समस्तीपुर, सासाराम, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली (कराधान पंजी), भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ (कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस)।

भी जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्ता वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ की। कर के भुगतान से छूट पाने के लिये दस्तावेजों के अभ्यर्पण या मालिकों के पता में परिवर्तन का कोई भी मामला अभिलेख में नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड रु0 10.68 करोड़ सहित रु0 16.02 करोड़ के कर की वसूली नहीं की गई (परिशिष्ट–XIX)।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) ने मई, 2010 में बताया कि चूककर्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध नीलामवाद मामले प्रारंभ की जायेगी जबकि शेष संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अप्रील, 2010 एवं मार्च, 2011 के बीच कहा कि माँग–पत्र निर्गत किया जायेगा। हमलोग मामले में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर, 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून, 2011 में प्रतिवेदित किये गये थे उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर, 2011)।

विभागीय अनुपालन

1. **जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया**––इस कंडिका में कुल 42 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 35,48,413 रु0 है।

(क) 15 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 17,44,414.00 रु0 है।

(ख) 15 वाहनों से वसूली की गई सन्निहित राशि 1,80,399.00 रु0 है।

2. **जिला परिवहन कार्यालय, बांका**––इस कंडिका में कुल 15 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 5,70,178 रु0 है।

(क) 10 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि सन्निहित 4,21,647 रु0 है।

(ख) 5 वाहनों से वसूली की गई सन्निहित राशि 1,48,531 रु0 है।

3. **जिला परिवहन कार्यालय, आरा**––इस कंडिका में कुल 24 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 13,400 रु0 है।

(क) 24 वाहनों पर माँग–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 13,400 रु0 है।

4. जिला परिवहन कार्यालय, बक्सर---इस कंडिका में कुल 39 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 23,26,000 रु0 है।

(क) 21 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 7,76,021 रु0 है।

(ख) 21 वाहनों से वसूली की गई राशि 15,49,979.00 रु0 है।

5. जिला परिवहन कार्यालय, नालंदा---इस कंडिका में कुल 35 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 50,86,245.00 है।

(क) 4 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 13,85,568.00 रु0 है।

(ख) 14 वाहनों से वसूली की गई राशि 1,45,089.00 रु0 है।

(ग) 17 वाहन पर नीलाम–पत्र दायर किया गया जिसकी सन्निहित राशि 32,41,941.00 रु0 है।

6. जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल---इस कंडिका में कुल 239 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 88,59,022 है।

(क) 34 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 88,59,022 है।

7. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर---इस कंडिका में कुल 26 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 69,90,130 रु0 है।

(क) 21 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 59,40,721 है।

(ख) 5 वाहनों से वसूली की गई राशि 10,49,409 रु0 है।

8. जिला परिवहन कार्यालय, लखीसराय---इस कंडिका में कुल 27 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 32,07,948 रु0 है।

(क) 27 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 32,07,948 रु0 है।

9. जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय---इस कंडिका में कुल 42 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 26,33,196 रु0 है।

(क) 42 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 26,33,196 रु0 है।

10. जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी---इस कंडिका में कुल 19 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 21,05,392 रु0 है।

(क) 14 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 14,35,753 रु0 है।

(ख) 5 वाहनों से वसूली की गई राशि 6,69,639 रु0 है।

11. जिला परिवहन कार्यालय, शेखपुरा---इस कंडिका में कुल 29 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 5,70,667 रु0 है।

(क) 29 वाहनों से वसूली की गई राशि 5,70,667 रु0 है।

12. जिला परिवहन कार्यालय, गया---इस कंडिका में कुल 115 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 2,19,01,072 है।

(क) 93 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 1,80,50,032 है।

(ख) 22 वाहनों से वसूली की गई राशि 38,51,040 रु0 है।

13. जिला परिवहन कार्यालय, छपरा––इस कंडिका में कुल 96 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 77,85,000 रु0 है।

(क) 96 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 77,85,000 रु0 है।

14. जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली––इस कंडिका में कुल 15 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 16,11,072 रु0 है।

(क) 15 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 16,11,072 रु0 है।

15. जिला परिवहन कार्यालय, सासाराम––इस कंडिका में कुल 34 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 25,79,000 रु0 है।

(क) 34 वाहनों पर माँग–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 25,79,000 रु0 है।

16. जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ––इस कंडिका में कुल 105 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 30,78,817.00 रु0 है।

(क) 25 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 15,62,283 रु0 है।

17. जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुरा––इस कंडिका में कुल 111 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 10,81,035 रु0 है।

(क) 54 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 7,23,582.00 रु0 है।

(ख) 57 वाहनों से वसूली की गई सन्निहित राशि 3,57,453 रु0 है।

18. जिला परिवहन कार्यालय, जहानाबाद––इस कंडिका में कुल 53 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 33,55,715 रु0 है।

(क) 35 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 23,54,165 रु0 है।

(ख) 18 वाहनों से वसूली की गई जिसकी सन्निहित राशि 10,01,550 रु0 है।

19. जिला परिवहन कार्यालय, सिवान––इस कंडिका में कुल 25 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 32,19,147 रु0 है।

(क) 23 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 30,31,875 रु0 है।

(ख) 2 वाहनों से वसूली की गई राशि 2,23,878 रु0 है।

20. जिला परिवहन कार्यालय, अरवल––इस कंडिका में कुल 30 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 8,49,301 है।

(क) 14 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 73,146 रु0 है।

(ख) 16 वाहनों से वसूल की गई राशि 76,155 रु0 है।

21. जिला परिवहन कार्यालय, जमुई––इस कंडिका में कुल 20 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 2,75,300 रु0 है।

(क) 20 वाहनों पर माँग–पत्र दायर किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 2,75,300 रु0 है।

22. जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर---इस कंडिका में कुल 64 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 72,72,636 रु0 है।

(क) 46 वाहनों पर नीलाम--पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 56,48,773 रु0 है।

(ख) 18 वाहनों से वसूली की गई राशि 15,58,863 रु0 है।

23. जिला परिवहन कार्यालय, पटना---इस कंडिका में कुल 191 वाहनों पर आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसमें सन्निहित राशि 2,65,32,848 रु0 है।

(1) जिसमें से 9 वाहन बिहार, राज्य पथ परिवहन निगम का है जिस पर 23,17,524 रु0 बकाया राशि है। वसूली हेतु पुनः स्मारित किया गया है।

(2) उक्त में से 7 वाहनों की चोरी हो जाने की सूचना है। जिस पर कुल बकाया राशि 65,06,287 रु0 है।

(3) तीन वाहनों का अनापत्ति प्रमाण--पत्र अन्य राज्यों के लिये निर्गत है जिसमें सन्निहित राशि 2,49,393 रु0 है।

(4) दो वाहन बिहार राज्य अग्निशामक के नाम से निबंधित है जिसमें 5,40,876 रु0 सन्निहित है। (जिसका कर बिहार सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है)

(5) दो वाहन का निबंधन चिह्न रद्द कर दिया गया है जिसमें सन्निहित राशि 4,80,465 रु0 है।

(6) तीन वाहनों का कर अद्यतन है। जिसमें सन्निहित राशि 3,50,895 रु0 है।

शेष बचे 165 वाहनों पर नीलाम--पत्र वाद दायर किया गया है। जिसमें सन्निहित राशि 2,18,87,408 रु0 है।

24. जिला परिवहन कार्यालय, शिवहर---इस कंडिका में कुल 15 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 8,45,051 रु0 है।

(क) 10 वाहनों पर माँग--पत्र निर्गत किया गया है जिसकी राशि [illegible] 78,124 रु0 है।

(ख) 5 वाहनों से वसूली की गई राशि 66,927 रु0 है।

25. जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार---इस कंडिका में कुल 26 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 7,34,84,053 रु0 है।

(क) 17 वाहनों पर माँग--पत्र निर्गत किया गया है जिसकी राशि 7,29 [illegible] 437 रु0 है।

(ख) 9 वाहनों से वसूली की गई राशि 5,24,616 रु0 है।

26. जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद---इस कंडिका में कुल 37 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 34,80,573 रु0 है।

(क) 32 वाहनों पर माँग--पत्र निर्गत किया गया है जिसकी राशि 33,33,423 रु0 है।

(ख) 5 वाहनों से वसूली की गई राशि 1,47,150 रु0 है।

27. जिला परिवहन कार्यालय, कैमूर---इस कंडिका में कुल 31 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 50,45,022 रु0 है।

(क) 27 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 47,02,488 रु0 है।

(ख) 4 वाहनों से वसूली की गई राशि 3,42,534 रु0 है।

28. जिला परिवहन कार्यालय, खगड़िया---इस कंडिका में कुल 146 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 1,52,87,577.00 रु0 है।

(क) 139 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 1,52,32,354.00 रु0 है।

(ख) 7 वाहनों से वसूली की गई राशि 55,223.00 रु0 है।

29. जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर---इस कंडिका में कुल 37 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 6,35,175.00 रु0 है।

(क) 32 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 60,452.00 रु0 है।

(ख) 5 वाहनों से वसूली की गई राशि 5,74,723.00 रु0 है।

30. जिला परिवहन कार्यालय, नवादा---इस कंडिका में कुल 33 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 20,28,677.00 रु0 है।

(क) 30 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 19,61,038.00 रु0 है।

(ख) 3 वाहनों से वसूली की गई राशि 67,639.00 रु0 है।

31. जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी---इस कंडिका में कुल 27 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 1,47,200.00 रु0 है।

(क) 10 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 60,000.00 रु0 है।

(ख) 17 वाहनों से वसूली की गई राशि 87,200.00 रु0 है।

32. जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी---इस कंडिका में कुल 15 आपत्तिग्रस्त वाहन है जिसकी सन्निहित राशि 16,11,072.00 रु0 है।

(क) 15 वाहनों पर नीलाम–पत्र दायर किया गया है जिसकी राशि 16,11,072.00 रु0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 मई, 2014 की बैठक में समिति सर्वसम्मति से विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में तथा महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

पटना :

दिनांक 21 जुलाई, 2014 (ई0)।

ललित कुमार यादव,

सभापति,

लोक लेखा समिति,

बिहार विधान–सभा, पटना।

संख्या लो0ले0स0–92(खण्ड–VII)मेटींग/2014–15/43
No.
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna - 800001

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान–सभा,
पटना।

दिनांक 19 अगस्त, 2014

विषय––लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन सं0 551, 552, 556 एवं 557 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण कें संबंध में।

प्रसंग––आपका पत्र सं0–2लो0ले0स0–28/14–1226/वि0स02लो0ले0स0–29/14–1225/वि0स02लो0ले0स0–30/14–1228/वि0स0, 2लो0ले0स0–31/14–1227/वि0स0, पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के विभिन्न वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल/सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र तथा राजस्व प्राप्तियाँ) में वर्णित कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का चार प्रारूप प्रतिवेदन (सं0 551, 552, 556 एवं 557) इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इन प्रारूप प्रतिवेदनों में वर्णित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की कंडिकाओं में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के क्रम में कुछ त्रुटियाँ पाई गई जिसका विवरण संलग्न किया जा रहा है। प्रारूप प्रतिवेदनों में आवश्यक सुधार कर मूल रूप में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नक––(1) प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।
(2) पायी गयी त्रुटियों का विवरणी–पत्र।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
लेखा परीक्षा अधिकारी,
बिहार, पटना।

प्रतिवेदन सं0 551, 552, 556 तथा 557 में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी है जो सन्निहित किये जाने योग्य है :–

1. प्रारूप प्रतिवेदन सं0 551 के प्रतिवेदन वर्ष 2001–02 की कंडिका 4.02 में नवम्बर, 2001 के स्थान पर नवम्बर, 2002 होना चाहिये तथा प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 की कंडिका 4.5 का Footnote छूटा हुआ है जिसे समाहित किया जाना चाहिये।

- वास्तव में वर्ष 2010–11 की कंडिका 3.4 समिति द्वारा निष्पादित की गई है। अतः इस प्रतिवेदन से कंडिका संख्या 3.3 को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।
- विषय सूची के क्रम सं0 3 में प्रधान महालेखाकार के स्थान पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) होना चाहिये।

2. प्रारूप प्रतिवेदन सं0 552 के पृष्ठ 'ज' में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) किया जाना चाहिये। साथ ही प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 की कंडिका 4.1 के स्थान पर 1989–90 की कंडिका 4.1 की छायाप्रति लगी हुई है। वर्ष 1992–93 की कंडिका 4.1 की छायाप्रति लगा दी गई है।

3. प्रारूप प्रतिवेदन सं0 556 के प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 की कंडिका 3.2.8 में Footnote छूटा हुआ है जिसे समाहित किया जाना चाहिये।

- विषय सूची में क्रम सं0 3 में प्रधान महालेखाकार के स्थान पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) होना चाहिये।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 91 मोनो0एल0–500